

**कार्यालय उ0प्र0 सूचना आयोग, आर.टी.आई. भवन,
विभूति खण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ**

पत्रांक: 15 /रा0सू0आ0 /मु0सू0आ0 /2025

दिनांक: 21 जनवरी, 2025

कम्प्यूटर प्रोग्रामर,
एन0आई0सी0 टीम,
उ0प्र0 सूचना आयोग,
लखनऊ।

आपको निर्देशित किया जाता है कि CATS-UPSIC नवीन साफ्टवेयर में निम्नलिखित संशोधन किया जाना है :-

1. समस्त सुनवाई कक्षों में संस्थित वादों से सम्बन्धित पत्रावली में सुनवाई करके वाद का निस्तारण का समय 09 माह 11 के अन्दर निर्धारित किया जाये एवं उसके उपरान्त ऑटोलॉक लगाया जाये। यदि उक्त अवधि में वाद निस्तारित नहीं होता है तो उपयुक्त वाद अधोहस्ताक्षरी के निर्देशानुसार गठित पीठ (जिसमें मुख्य सूचना आयुक्त एवं अन्य दो राज्य सूचना आयुक्त होंगे) के समक्ष सुनवाई हेतु प्रस्तुत किया जायेगा।
2. समस्त सुनवाई कक्षों में लम्बित वादों में 1½ माह से अधिक की अग्रिम तिथि नियत न की जाये।
3. समस्त सुनवाई कक्षों में नियत वादों में सुनवाई होने के पश्चात् पारित किये गये आदेशों की अपलोडिंग 4 दिवसों के उपरान्त न की जा सकें। यदि चार दिवसों में अपलोड नहीं किया गया है तो अधोहस्ताक्षरी की अनुमति से ही अपलोड किया जा सकेगा।
4. आयोग में ऑनलाइन प्राप्त होने वाली द्वितीय अपील/शिकायत/रिकॉल आयोग में प्राप्ति तिथि से 10 दिवसों के भीतर (3 दिवस संवीक्षा पटल एवं 7 दिवस शोध अधिकारी के द्वारा) सुनवाई कक्षों में प्रेषित कर दी जाये। सम्बन्धित सुनवाई कक्षों द्वारा 5 दिवसों के भीतर ही प्रथम आदेश पक्षों को निर्गत कर दिया जाये, अन्यथा की स्थिति में अधोहस्ताक्षरी से अनुमति प्राप्त कर प्रथम आदेश अपलोड किया जा सकेगा।

उक्त समस्त संशोधन तत्काल प्रभावी करना सुनिश्चित करें एवं कृत कार्यवाही से अधोहस्ताक्षरी को अवगत भी करायें।


(डॉ० राजकुमार विश्वकर्मा)
राज्य मुख्य सूचना आयुक्त